APP-A
Crime-I

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

~~उपखण्ड अधिकारी~~ मुकाम रैणी

रामधन बनाम बाबूलाल वगै0

दमा नं. ________ सन् ________

ोख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-06-2022	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वकील पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला से पाबन्द किया जावे कि वो हाल खाता संख्या 749 आराजी खसरा नम्बर 225/0.05, 243/0.97, 244/0.36 किता 3 रकबा 1.38 है0, खाता संख्या 851 आराजी खसरा नम्बर 245/0.42, 245/4386/0.02 किता 2 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम पिनान तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है, से प्रार्थीगण को आराजी से जबरन बेदखल नही करे। ना ही कुल कार्य काश्त में व्यवधान उत्पन्न करे। एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इत्यादि । ताईद में शपथ पत्र पेश है। बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, शपथपत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी के इन्द्राज से प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी को नापूर्ति क्षति होने का अंदेशा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 12.08.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाऐं रखे। अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध में उन्हे कोई एतराज हो तो दिनांक 12.08.2022 को न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज रजिस्टर हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी रैणी	
20/7/22	आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी श्री रामधन उपस्थित। वादी द्वारा मूलवाद विड्रा कर लिया गया है। मूलवाद का निस्तारण हो जाने के कारण प्रा0पत्र 212 RT Act का कोई औचित्य नहीं रहता है।	Sd/-

अतः धारा 212 RT Act की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली कैमाल शुमार होकर अभिलेख में दाखिल की जावे। संलग्न मुलाहिज़ा हो।

SDO